

न्यायालय अपर समाहर्ता, खूँटी।

In The Court of Additional Collector, Khunti

अनुसूची - 14 फॉर्म नं० 562
Schedule - Form No. 562

आदेश पत्रक


ORDER SHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129
Record Manual 1941 Rule 129

MR वाद सं० 02 R 15 वर्ष 2016 धारा.....
Case No. Year Section.....
अपीलकत / 10 प०/आवेदक प्रतिवादी / द्विपक्षी
Appellant / F.P./petitioner Respondent / S.P./ O.P.

आदेश क्रमांक / तिथि Order No. / Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
1	2	3
<p>10.09.14 27.09.16</p>	<p>प्रस्तुत वाद आर्कटव बुधुवा मस्तो (ए) फगुवा, मस्तो दोनों चे.पे. स्व. मिट्टु मस्तो स्वामिन- काटमकुकु ग्राम- कर्ना जिला- खूँटी (फराबण्ड) ने भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी वे- गामालय द्वारा दा. खा. अर्पोल वाद संख्या- 14/15-16 के दिनांक- 04.08.16 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। उक्त वाद की अग्रेतर सुनवाई हेतु अंगीकृत किया जाता है। विपक्षी के सूचना निर्गत करे तथा निम्न न्यायालय के अधिकार की मांग करे। दिनांक- 15.10.16 ओ.ए.वे।</p>	<p>23/10/16 27-09-16 24/10/16 27-09-16</p>

[Signature]
27/09/16

आदेश क्रमांक क्रमांक Order No./ Part	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी तारीख/ क्रमांक तिथि Action taken on order with date
	2	3
01-7-20	<p>अभिलेख उपस्थापित सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कारखाने सरकार राँची के पत्रांक-332/शं.क्रमांक-24-01-20 के द्वारा प्रतिक्रिया है The Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision की सुनवाई करने का अधिकार मात्र collector को है न कि Additional collector अथवा Deputy collector को है।</p> <p>आतः उक्त निमन/ धारा के भागों में अग्रतः कारवाई/ सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित के आदेश में हस्तांतरित करें।</p> <p style="text-align: right;">  1.7.2020 अपर सहायक सूची </p> <p>अभिलेख उपस्थापित) अभिलेख अपर सहायक सूची के आदेश से हस्तांतरित लेकर उपरोक्त अभिलेख पर रजिस्टर कारवाई हेतु वाद पंजी में अज्ञात करते हुए पत्राचार को सुचारु निर्गत करें। अभिलेख सूची को रखें।</p>	